भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2190

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की डिजिटल निगरानी

2190. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता की डिजिटल निगरानी को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) रीयल-टाइम डैशबोर्ड, आईओटी सेंसर, जीआईएस मैपिंग और मोबाइल रिपोर्टिंग उपकरणों सहित प्रस्तावित डिजिटल निगरानी ढांचे के घटकों का ब्यौरा क्या है,
(ग) देश भर में इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुमानित आवश्यक निधि कितनी है और क्या इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(घ) ग्रामीण जल और स्वच्छता सेवाओं की डिजिटल निगरानी में सटीकता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय नियोजित किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार का पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को निगरानी और रिपोर्टिंग में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता निर्माण के लिए क्या कदम नियोजित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। चूंकि जल राज्य का विषय है, अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना

बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

इस विभाग ने पारदर्शिता, डेटा सटीकता और तत्काल-समय पर समीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) हेतु एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार की है। जेजेएम के तहत, आईएमआईएस तथा ऑनलाइन डैशबोर्ड तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत, जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

आईएमआईएस पोर्टल पर डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने एक बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र शुरू किया है। इसमें लाभार्थियों की आधार संख्या को अनिवार्य रूप से सहबद्ध करना, सुजलाम भारत ऐप के माध्यम से परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, पीएम-गतिशक्ति पोर्टल पर पाइपलाइनों की सूचना अपलोड करना शामिल है। इसके अलावा, विभाग जमीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए कड़े परिश्रम से कार्य करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **कार्यशीलता मूल्यांकन:** जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता को सत्यापित करने के लिए वार्षिक स्वतंत्र नमूना सर्वेक्षण।

(ii) **राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम):** राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों, केन्द्रीय नोडल अधिकारियों, एनजेजेएम और एनपीएमयू सदस्यों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र दौरे। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता जमीनी वास्तविकताओं के बारे में सूचित की गई प्रगति का पुन:सत्यापन करते हैं।

(iii) **डिजिटल सत्यापन:** वास्तविक समय की निगरानी के लिए चयनित गांवों में आईओटी-आधारित सेंसर का उपयोग।

इसी तरह, विभाग ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर एसबीएम (जी) के तहत प्रगति की निगरानी के लिए एसबीएम-जी पोर्टल और डैशबोर्ड - एक केंद्रीकृत पोर्टल (http://swachhbharatmission.ddws.gov.in) और डैशबोर्ड (http://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx) भी विकसित किया है।

अन्य पहलुओं के अलावा, पोर्टल एलएचएचएल के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें नागरिक एलएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। एसबीएम

(जी) डैशबोर्ड विभिन्न संकेतकों जैसे कि खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस स्थिति, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी), के निर्माण, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) अवसंरचना, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), क्षमता निर्माण गतिविधियों आदि के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को दर्शाता है।

एसबीएम (जी) के तहत दो मोबाइल ऐप अर्थात एमएसबीएम और एसबीएम 2.0 तैयार किए गए हैं। एमएसबीएम मोबाइल ऐप का उपयोग व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की जियो-टैगिंग के लिए किया जाता है और एसबीएम 2.0 का उपयोग एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों की प्रगति की सूचना देने के साथ-साथ ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों (सीएससी सहित) की जियो-टैगिंग के लिए किया जाता है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन - ग्राम पंचायत के नेतृत्व में, समुदाय के स्वामित्व वाले कार्यशीलता मूल्यांकन तंत्र का संचालन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ बनाना है। अब बड़ी संख्या में योजनाएं कार्यशील होने के साथ, यह पहल संरचित सामुदायिक चर्चाओं, ग्राम सभा सत्यापन और डिजिटल डेटा कैप्चर के माध्यम से ग्राम स्तर पर जल सेवाओं की उपलब्धता, नियमितता, पर्याप्तता और गुणवत्ता का आकलन करने पर केंद्रित है।

*****